

राज्य, खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड

द्वारा निर्धारित

रूप-पत्र

१. जनपद का नाम
२. उद्योग का नाम
३. विकास क्षेत्र का नाम जिसमें प्रस्तावित समिति का पंजीकरण होना है।
४. ग्रामोद्योग सहकारी समितियों की संख्या जिनका संबन्धित विकास क्षेत्र हैं जनपद में उद्योगों में पंजीकरण पहले हो चुका है।
५. समितियों की संख्या जिन्हें खादी आयोग राज्य सरकार या खादी ग्रामोद्योग बोर्ड से आर्थिक सहायता प्राप्त हुयी है।
६. ग्रामोद्योग सहकारी समितियों की संख्या जो सम्बन्धित उद्योग में सक्रिय है।
७. ग्रामोद्योगिक सहकारी समितियों की संख्या जो सम्बन्धित उद्योग में निष्क्रिय पड़ी है।
८. ग्रामोद्योगिक सहकारी समितियों की संख्या जो सम्बन्धित उद्योग में मृत पड़ी है।
९. सदस्यों की संख्या (जो समिति में शामिल हुये हैं) कारीगर गैर कारीगर
१०. ऐसे कारीगरों की संख्या जो पहले से कार्य कर रहे हैं।
११. क्या स्थानीय रूप से कच्चा माल उपलब्ध है ? यदि नहीं तो इसे प्राप्त करने का क्या प्रबन्ध होगा ?
१२. तैयार माल की बिक्री के क्या साधन हैं ?
१३. क्या गठित की जाने वाली समिति में वैतनिक मंत्री के हेतु व्यक्ति उपलब्ध है यदि नहीं तो किस व्यक्ति को प्रशिक्षण में भेजा जावेगा ?

दिनांक.....२०

प्रबंधक (ग्रामोद्योग) / जिला ग्रामोद्योग अधिकारी

(स)

इंसपेक्टर की रिपोर्ट

(सहकारी निरीक्षक की अनुपस्थिति में जनपद मुख्यालय पर नियुक्ति सरकारी पर्यवेक्षक प्रस्ताव की जाँच करें)

१. समिति का प्रस्ताव किस कर्मचारी ने तैयार कराया ?
(नाम, पद व मुख्यालय दिया जाय।)
२. इन्सपेक्टर ने किन तारीखों में स्थानीय जाँच की ?
३. क्या इन्सपेक्टर ने प्रस्तावित समिति की किसी बैठक में भाग लिया है ?
(तारीखें दी जाय)
४. क्या इन्सपेक्टर समिति के बारे में सदस्यों की कारीगरी से सन्तुष्ट है ?
५. क्या इन्सपेक्टर सन्तुष्ट है कि प्रस्तावित संचालक मंडल में समिति के कार्य संचालन की योग्यता है ?
६. क्या प्रस्तावित समिति में अपने बल पर खड़े होने की सम्भावना है ?
७. क्या समिति किसी वित्तीय संगठन से वित्तीय सहायता के अभाव में अपने साधनों से कार्य कर पायेगी ?
८. अन्य उल्लेखनीय जानकारी जो समिति के पंजीकरण के लिये आवश्यक हो।

तारीख.....२०

ह० इन्सपेक्टर

प्रबंधक (ग्रामोद्योग) / जिला ग्रामोद्योग अधिकारी की रिपोर्ट

मैंने प्रस्तावित समिति का स्थानीय निरीक्षण स्वयं कर लिया है। मैं इन्सपेक्टर की जाँच से संतुष्ट हूँ। समिति नवीनतम निर्गत निर्देशनों के अनुरूप रजिस्ट्री के योग्य है और पंजीकरण के.....दिन बाद सक्षम/औसत रूप से कार्य प्रारम्भ कर देगी तथा सक्षम इकाई होगी। मैं समिति के पंजीकरण की संस्तुति करता हूँ।

तारीख.....२०

प्रबन्धक (ग्रामोद्योग) / जिला ग्रामोद्योग अधिकारी

प्रति हस्ताक्षरित
परिक्षेत्रीय ग्रामोद्योग